सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 23, मंगलवार, *शाके* 1947- मई 13, 2025
Vaisakha 23, Tuesday, Saka 1947- May 13, 2025

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 18, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(ब.घों.)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/9 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका सपोटरा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	करौली	सपोटरा	राजस्व ग्रांम सूरतपुरा का सम्पूर्ण क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 906 है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/36 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद बालोतरा वर्तमान सीमा में सम्मिलित किए जाने वाली सीमा क्षेंत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या

01.	बालोतरा	बालोतरा	आवासन मण्डल क्षेत्र (राजस्व ग्राम माजीवाला, खारचों की ढाणी, मेगा आवास योजना (राजस्व ग्राम जसोल) का सम्पूर्ण क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 3370 है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/63 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद बांरा की वर्तमान सीमा में क्षेत्र मे सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	बांरा	बांरा	राजस्व ग्रांम बमूलियां, राजस्व ग्रांम सुन्दलक जिसकी जनसंख्या 841 है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/91 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अन्ता की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाली सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या

01.	बांरा	अन्ता	राजस्व ग्रांम बरखेडा, चकशाहबाद जिसकी जनसंख्या 796 है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/118 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद नीमकाथाना की वर्तमान सीमा में सम्मिलित किए जाने वाली सीमा क्षेंत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	नीमकाथाना	नीमकाथाना	ग्रांम पंचायत गोड़ावास का राजस्व ग्रांम गोड़ावास, राजनगर, नीमकाथाना ग्रामीण, ग्रांम पंचायत हीरानगर का राजस्व ग्रांम हीरानगर, ग्रांम पंचायत कुरबड़ा का राजस्व ग्रांम कुरबड़ा, मालनगर, बृजसिंहवास का सम्पूर्ण क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 15,796 है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/146 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका खेतडी की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाली सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	नीमकाथाना	खेतडी	ग्राम पंचायत राजोता के राजस्व ग्राम गागड़वास, एवं ग्राम पंचायत नानूवाली बावडी के राजस्व ग्राम ज्योतिबा नगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 2984 है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/176 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका श्रीमाधोपुर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाली सीमा क्षेंत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	नीमकाथाना	श्रीमाधोपुर	ग्राम पंचायत हॉसपुर का राजस्व ग्राम खनीपुरा एवं ग्राम पंचायत भारणी का राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर ग्रामीण की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या 4593 है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/213 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका नोहर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाली सीमा क्षेंत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	हनुमानगढ	नोहर	चक राजासर 1 बीकेके 2 बीकेके 4 बीकेके 1 एनएचआरए 1 एनएचआरबी 14 बारानी 15 बारानी चक सरदारपुरा चक देईदासपुरा ढाणी चारणान (जनसंख्या- 7052)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/241 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका रावतसर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाली सीमा क्षेंत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	हनुमानगढ	रावतसर	19 डीडब्लयूडी, 8 एएम, 21-22 डीडब्लयूडी, 17 डीडब्लयूडी, 24 डीडब्लयूडी, 4 के डब्लयूडी, 9 केडब्लयूडी, 6 केडब्लयूडी, 8 केडब्ल्यूडी, 6 एएम, 9 एएम, 10 एएम, 16 डीडब्ल्यूडी (जनसंख्या 3469)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/271 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद झुन्झुनू की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	राजस्व ग्रांम सीतसर, खांगा का बास, राजस्व ग्रांम वारिसपुरा, दीपलवास, राजस्व ग्रांम भूरीवास एवं बाडलवास (जनंसख्या-4013)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/301 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम उदयपुर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर निगम का नाम	नगर निगम में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	उदयपुर	उदयपुर	ग्राम पंचायत बड़गांव का राजस्व ग्राम बडगॉव, ग्राम पंचायत बड़ी का राजस्व गाम हवाला कल्ला हवाला खुर्द, गाम पंचायत बेदला का राजस्व ग्राम बेदला, बेदला खुर्द, ग्राम पंचायत भुवाण का राजस्व ग्राम भुवाण, रूप नगर,

			ग्राम पंचायत सापेटिया का राजस्व ग्राम सापेटिया, सुखेर, ग्राम पंचायत षोभागपुरा का राजस्व ग्राम शोभागपुरा, रेबारियों का गुड़ा, रघुनाथपुरा, ग्राम पंचायत सीसारमा का राजस्व ग्राम सीसारमा, ग्राम पंचायत बलिचा का राजस्व ग्राम बलिचा, ग्राम पंचायत डाकन कोटडा का राजस्व, ग्राम घोल की पाटी, ग्राम पंचायत सवीना ग्रामीण का राजस्व ग्राम पंचायत सवीना खेडा, ग्राम पंचायत देवाली का राजस्व ग्राम नेला, जोगी तलाब, देवाली ग्राम पंचायत तीतरडी का राजस्व ग्राम बिलिया, फान्दा, तीतरडी, गुखर मंगरी, ग्राम पंचायत देबारी का राजस्व ग्राम देबारी, झरणों की सराय, ग्राम पंचायत भोइयों की पंचोली का राजस्व ग्राम धोलीमंगरी, ग्राम पंचायत बेडवास का राजस्व ग्राम बेडवास, रकमपुरा, ग्राम पंचायत कलडवास का राजस्व ग्राम कलडवास, मनवाखेडा, ग्राम पंचायत कानपुर का राजस्व ग्राम कानपुर, राजस्व ग्राम आयड़ ग्रामीण, राजस्व ग्राम देवाली (फतहपुरा) (जनंसख्या-1,05,564)

यह आदेष सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/351 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद मकराना की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	डीडवाना-कुचामन	मकराना	ग्रांम पंचायत जूसरी की सीमा क्षेत्र से मकराना का ग्रामीण क्षेत्र (राजस्व ग्राम मकराना का ग्रामीण क्षेत्र जो वर्तमान में ग्रांम पंचायत जूसरी में सम्मिलित हैं), ग्रांम पंचायत गुणावती (राजस्व ग्राम गुणवती का ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायत गुढा में सम्मिलित क्षेत्र)

			ग्रांम पंचायत दिरढाणी में (ग्रांम पंचायत गुढा का क्षेत्र) (जनंसख्या-26,096)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 27, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/381 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद श्रीगंगानगर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	श्रीगंगानगर	नगर परिषद श्रीगंगानगर	ग्राम पंचायत 3 E chhoti का राजस्व ग्राम 3 E chhoti ग्राम पंचायत 5 E chhoti का राजस्व ग्राम 5E chhoti, 6 E chhoti, 1 A, ग्राम पंचायत 4 ML का राजस्व ग्राम 7 E chhoti, ग्राम पंचायत sahuwala का राजस्व ग्राम 3 A chhoti, ग्राम पंचायत 2 ML का राजस्व ग्राम 2 E chhoti, 4E chhoti, 2 ML Nathawali, ग्राम पंचायत 4Z का राजस्व ग्राम 5Z, 1E chhoti, 1B chhoti सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र जनसंख्या 21560

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 27, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/421 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका भादरा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाली सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	हनुमानगढ	भादरा	ग्राम पंचायत राजपुरा का राजस्व ग्राम सरदारपुरा बास एवं ग्राम पंचायत डोभी का राजस्व ग्राम मोतीपुरा बास, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनसंख्या-1646)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 30, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/493:-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद लालसोट की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाली सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	दौसा	लालसोट	ग्राम पंचायत डीडवाना (सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र), ग्राम पंचायत चांदसेन का राजस्व ग्राम सालगरामपुरा चक नं.

			6, सालगरामपुरा चक नं. 7, राजस्व ग्राम चांदसेन का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत राजोली का राजस्व ग्राम राजोली, चक राजोली, श्योन्दा की झोपडीयां (सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 8, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/307 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम अलवर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर निगम का नाम	नगर निगम में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	अलवर	अलवर	ग्रांम पंचायत नंगला रायसिस का राजस्व ग्रांम नंगला समवादी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्रांम पंचायत दिवाकरी का राजस्व ग्रांम दिवाकरी ग्राम पंचायत बेलाका का राजस्व ग्राम बेलाका, व बेरका का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्रांम पंचायत भाखेड़ा का राजस्व ग्राम लिवारी, भाखेड़ा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनंसख्या-21,815)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 8, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/341 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद बून्दी की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	बून्दी	बून्दी	राजस्व ग्रांम रामगंज बालाजी, नानकपुरिया, भंवरदा, रायता, उमरच, दौलाडा, बालापुरा, कुआरती, बीबनवा, माटुण्डा, श्योपुरिया बाबडी, गांधीग्राम, गणपतपुरा, हट्टीपुरा, अस्तोली, कांजरी सिलोर, रधुवीरपुरा, बहादुरपुरा, सिलोर (जनंसख्या-25,476)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 08, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/373 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका नैनवा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगरपालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	बूंदी	नैनवा	राजस्व ग्रांम नैनवॉ, दललेपुरा, रालड़ी, खानपुरा, टोपा उर्फ

			नयागांव, छोटी पडाप, रजलावता, बडी पडाप (जनंसख्या-7,048) जनगणना 2011 के अनुसार

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 08, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/401 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद पुष्कर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	अजमेर	पुष्कर	राजस्व ग्राम लीला सेवडी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्रांम गनाहेडा का नाला सीमा क्षेत्र (जनंसख्या-2,209)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 09, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/431 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 3938-3968 दिनांक 10.10.2024 के द्वारा नवगठित नगरपालिका सिणधरी घोषित की गई थी। पूर्व में अधिसूचित नगरपालिका की सीमा विस्तार करते हुए अब सम्पूर्ण नगरपालिका सिणधरी का सीमा क्षेत्र निम्न प्रकार सें हो जावेगा :-

क्र.सं.	जिला	नगरपालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	बालोतरा	सिणधरी	ग्रांम पंचायत सिणधरी चौसीरा का राजस्व ग्रांम सिणधरी चौसीरा, सिणधरी उर्फ बेड, किशनपुर, ग्रांम पंचायत सिणधरी चारणान का राजस्व ग्राम सिणधरी चारणान, वाडेल नाडी, गादेसरा, सती जसनाथनगर, ग्रांम पंचायत नाकोडा का राजस्व ग्रांम आदर्श नाकोडा, ग्राम पंचायत विलासर का राजस्व ग्राम धन्ने की ढाणी, ग्राम पंचायत पांयलाखुर्द का राजस्व ग्राम गादेसर सिटी का सम्पूर्ण क्षेत्र।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 10, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/461 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका इन्द्रगढ की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	बूंदी	इन्द्रगढ	ग्राम पंचायत सुमेरगंज मण्डी का राजस्व ग्रांम सुमेरगंज मंडी, अंधोरा, खेडली माफी, मुई, ग्राम पंचायत मोहनपुरा का राजस्व ग्राम मोहनपुरा छत्रपुरा, दरामाताजी, झीडा का

			सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनंसख्या-13041)- जनगणना 2011 के अनुसार

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 10, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/492 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका गुढ़ागौड़जी की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	झुंझनूं	गुढ़ागौड़जी	राजस्व ग्रांम टोडी, ग्रांम पंचायत दुड़िया का राजस्व ग्रांम दुड़िया, ग्राम पंचायत गुढ़ा बावनी का राजस्व ग्राम ढ़ाणी बड़ की, ढ़ाणी कनिका, ढ़ाणी खरबासा, खेदड़ा की ढ़ाणी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनंसख्या-14,874)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 10, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/521 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद हनुमानगढ की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रांम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	हनुमानगढ	हनुमानगढ	ग्रांम पंचायत के राजस्व ग्राम निम्न प्रकार से है Satipura - 45 NGC Satipura - 50 NGC (RURAL) Jwala Singh Wala - 51 NGC (RURAL) Jwala Singh Wala - 48 NGC (RURAL) Amarpura Thedi - 10 HMH Amarpura Thedi - 13 HMH (RURAL) Amarpura Thedi - 15 HMH (RURAL) Kohla - 16 HMH (RURAL) Kohla - 17 HMH (RURAL) Kohla - 14 HMH (RURAL) Kohla - 12 HMH Srinagar - 18 HMH (RURAL) 2 KNJ - 3 KNJ (RURAL) 2 KNJ - 2 KNJ 2 KNJ - 1 KNJ उपरोक्त ग्राम पंचायत के राजस्व ग्रामों का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनसंख्या 14,926)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 10, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/551 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद सीकर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या

01.	सीकर	सीकर	ग्राम पंचायत सबलपुरा का राजस्व ग्राम सबलपुरा (आंशिक), ग्राम पंचायत नानी का राजस्व ग्राम नानी (आंशिक), ढाणी नाथावतान (पूर्ण), ग्राम पंचायत चन्दपुरा का राजस्व ग्राम चन्दपुरा (आंशिक), ढाणी सालमसिंह (पूर्ण), बजाज ग्राम (पूर्ण), ग्राम पंचायत दुजोद का राजस्व ग्राम दुजोद (आंशिक), ग्राम पंचायत गोकुलपुरा का राजस्व ग्राम गोकुलपुरा (आंशिक), रामु का बास (आंशिक), ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा का राजस्व ग्राम दुला की ढाणी (आंशिक), दासा की ढाणी (आंशिक), राधाकिशनपुरा (पूर्ण), ग्राम पंचायत चैनपुरा का राजस्व ग्राम चारण का बास (आंशिक), पिपली नगर (आंशिक), ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा का राजस्व ग्राम समर्थपुरा (पूर्ण), घोराणा (पूर्ण), शिवसिंहपुरा (पूर्ण), ग्राम पंचायत कुडली का राजस्व ग्राम नला का बालाजी (पूर्ण), धाबाईपुरा (आंशिक), बालाजी भैंरूजी नगर (आंशिक), कुडली (आंशिक), ग्राम पंचायत कटराथल का राजस्व ग्राम कटराथल (आंशिक), ग्राम पंचायत भादवासी का राजस्व ग्राम जगमालपुरा (आंशिक) (जनसंख्या, जनगणना 2011 अनुसार - 18,612)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 10, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/591 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका लोसल की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	सीकर	लोसल	लोसल छोटी सम्पूर्ण ग्राम पंचायत लोसल छोटी, बिजारणियों की ढाणी,गणेशपुरा का सम्पूर्ण क्षेत्र, भीराना

			राजस्व ग्राम सम्पूर्ण क्षेत्र, प्रतापपुरा राजस्व ग्राम सम्पूर्ण क्षेत्र, गुमानपुरा राजस्व ग्राम सम्पूर्ण क्षेत्र

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 10, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/621 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका मालपुरा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	टोंक	मालपुरा	ग्रांम पंचायत बृजलालनगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत राजपुरा का राजस्व ग्राम हाथगी का सीमा क्षेत्र , ग्रांम पंचायत सिन्धोलिया का राजस्व ग्राम दौराई (मालियो का) नायको की ढाणी, बैरवों की दौराई का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत रीण्डल्या बुजुर्ग का राजस्व ग्राम धनोता, कल्याणपुरा का सीमा क्षेत्र, ग्रांम पंचायत टोरडी का राजस्व ग्राम अम्बापुरा मय ढाणियां (टोरडी स्टेशन गुवालों की ढाणी) का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र

			ग्रामं पंचायत डूंगरीकला का राजस्व ग्रांम अजमेरों की ढाणी, जाजमों की ढाणी का क्षेत्र ग्रांम चान्दसेन का राजस्व ग्राम सुईवालों की ढाणी , नागौरियों की ढाणी, अविकानगर का क्षेत्र ग्राम पंचायत देशमा का राजस्व ग्राम पीनणी, लक्ष्मीपुरा, श्योपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 10, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/651 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका नसीराबाद की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	अजमेर	नसीराबाद	ग्राम पंचायत नान्दला का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 08, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/681 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका रावतभाटा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	चितौडगढ	रावतभाटा	ग्रांम पंचायत बाडौलिया का राजस्व ग्रांम बाडौलिया, जावराखुर्द, जावरकालां तिन्दुवा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत झालरबावडी का राजस्व ग्राम झालरबावडी थमलाव का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत सणिता का राजस्व ग्राम सणिता, सांखलों का ढुंडा, महुपुरा, देवपुरिया, कचोलिया एवं नीम का खेड़ा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनंसख्या-14,266)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 17, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/751 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका लाम्बाहरिसिंह की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	टौंक	लाम्बाहरिसिंह	ग्रांम पंचायत आंटोली का राजस्व ग्राम सुवादियाडी, अडूस्या, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत देवल का राजस्व ग्राम प्राचीन चतरपुरा,

			दण्ड की ढाणी, आसन जोगियान, नवीन चतरपुरा, आसन जोगियान टोटी का सीमा क्षेत्र, ग्रांम पंचायत बागडी का राजस्व ग्राम गणेशपुरा, बडगांव का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 17, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/781 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद ब्यावर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	ब्यावर	ब्यावर	1.ग्राम पंचायत मेडिया के राजस्व ग्राम मेडिया, शम्भूपुरा, शोभापुरा रामपुरा मेवातियान, मकरेडा, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 2.ग्राम पंचायत ब्यावरखास का राजस्व ग्राम ब्यावरखास का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 3.ग्राम पंचायत सरमालिया का राजस्व ग्राम सरमालिया का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 4.ग्राम पंचायत देलवाडा के राजस्व ग्राम देलवाडा, दौलतपुरा बलाईयान, सेंसपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 5.ग्राम पंचायत बलाड के राजस्व ग्राम बलाड, गढीथोरियान, कुशालपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 6.ग्राम पंचायत मालपुरा (कालियावास) के राजस्व ग्राम मालपुरा (कालियावास) का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 7.ग्राम पंचायत नून्द्रीमालदेव के राजस्व ग्राम नून्द्रीमालदेव का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 8.ग्राम पंचायत गणेशपुरा के राजस्व ग्राम गणेशपुरा शिवनाथपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र

			9.ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 10.ग्राम पंचायत ठीकराना महेन्द्रातान के राजस्व ग्राम ठीकराना महेन्द्रातान, बाडिया श्यामा, रामसर बलाइयान का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 11.ग्राम पंचायत जालिया प्रथम के राजस्व ग्राम जालिया प्रथम, बाडिया जग्गा, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 12.ग्राम पंचायत नून्दीमेन्द्रातान के राजस्व ग्राम नून्द्रीमेन्द्रातान, सिरोला का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 13.ग्राम पंचायत फतेहगढ सल्ला का राजस्व ग्राम रतनपुरा सरदारा, डूंगरखेडा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 14.ग्राम पंचायत नरबदखेडा के राजस्व ग्राम केसरपुरा (परसा) एवं भोजपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनंसख्या-38,712)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 17, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/811 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका बर्डोद की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या

01.	कोटपूतली-बहरोड	बर्डोद	ग्रांम पंचायत/राजस्व ग्रांम डिस, कीर्तनसिंहपुरा, नालपुरा (जनंसख्या-4,437)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 28, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/1398 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद बांसवाडा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	बांसवाडा	बांसवाडा	पंचायत लोधा का राजस्व ग्राम जानामेडी, लोधा, ओझरिया, लालपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र । ग्राम पंचायत सेवना का राजस्व ग्राम जानावारी, धामनीया, कांकरा, डूंगरी, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र । ग्राम पंचायत बडवी का राजस्व ग्राम बारीडायलाब,, ग्राम पंचायत ठिकरिया का राजस्व ग्राम ठिकरिया, भवानपुरा (ग्रामीण) का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र । (जनसंख्या, जनगणना 2011 अनुसार-15896)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/1431 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका झालरापाटन की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	झालावाड	झालरापाटन	ग्रांम पंचायत गिरधरपुरा का राजस्व ग्राम माधोपुर, ग्रांम पंचायत गोविन्दपुरा का राजस्व ग्रांम मालीपुरा रिको आवासीय कॉलोनीया एवं हाऊसिंग बोर्ड आवासीय कॉलोनी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनसंख्या, जनगणना 2011 अनुसार -2083)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/1461 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका नाथद्वारा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	राजसमन्द	नाथद्वारा	राजस्व ग्राम उपली ओडन, निचली ओडन, गोपा कुआ, गुंजोल, कुंचोली, जोशियों की मादडी, पानेरियों की मादडी, मोड़वा, रावचा, डिंगोला का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र

			(जनसंख्या, जनगणना 2011 अनुसार - 15307)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 30, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/1491 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका डिग्गी की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	टोंक	डिग्गी	ग्रांम पंचायत किरावल का राजस्व ग्राम कुरथल का समस्त सीमा क्षेत्र ग्रांम पंचायत धौली का राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा भीपूर, नुक्कड (कल्याणपुरा), मालियों की ढाणी, मीणो की ढाणी का समस्त सीमा क्षेत्र ग्रांम पंचायत सोडा का राजस्व ग्राम बागरिया की ढाणी का समस्त सीमा क्षेत्र । (जनसंख्या, जनगणना 2011 अनुसार - 5071)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 30, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/1521 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम भरतपुर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर निगम का नाम	नगर निगम में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	भरतपुर	भरतपुर	ग्राम पंचायत बछामदी का राजस्व ग्राम बछामदी, बरेला का नगला, नगला कसौटा नगला हींस का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र,ग्रांम पंचायत बरसो का राजस्व ग्राम बरसो, जाटौली घना, नगला गोपाल, आराजी सालगा, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत मडरपुर का राजस्व ग्राम मडरपुर, बराखुर, जिरौली, नगला लौधा, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत मलाह का राजस्व ग्राम मलाह, नगला झीलरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्रांम पंचायत रामपुरा का राजस्व ग्राम रामपुरा, नगला सैह, मडौली, नगला तेरहिया का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत मुरवारा का राजस्व ग्राम मुरवारा, चक मुरवारा, अचलपुरा, मुण्डवा, गिरधरपुर, अड्डी, चक भांडोर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्रांम पंचायत तुहिया का राजस्व ग्राम तुहिया, टौंटपुर, भाडौर, घना भाडौर, चक घना भाडौर, नगला करनसिंह, चक नगला करनसिंह का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्रांम पंचायत जघीना का राजस्व ग्राम भवनपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनसंख्या, जनगणना 2011 अनुसार -37942)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 30, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/1583 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका बांदीकुई की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	दौसा	बांदीकुई	ग्राम पंचायत भांडेडा का राजस्व ग्राम जागीर बांदीकुई, भोज्यावालों का बास, टीकावाली, बडावास, बच्छी का बास का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्रांम पंचायत नारायणपुरा का राजस्व ग्राम बाढ बिशनपुरा सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत श्यालावासकलां का राजस्व ग्राम श्यालावासकलां, श्यालावासखुर्द, कुटी, बाढबगीची, मुकरपुरा, बाढ बिच्छी, सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्रांम पंचायत पंडितपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत केसरीसिंहपुरा का राजस्व ग्राम हरनाथपुरा का सीमा क्षेत्र

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुमार पाल गौतम,
आयुक्त एवं शासन सचिव।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 17, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/24/2275 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद हिण्डौन की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या

01.	करौली	हिण्डौन	ग्राम पंचायत कैलाश नगर के राजस्व ग्राम कैलाश नगर एवं हिण्डौन ग्रामीण का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र । (जनसंख्या, जनगणना 2011 अनुसार-5324)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।